

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—सामा./आर.एच./09/

दिनांक:

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:— शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 108 आपातकालीन सेवा की जानकारी उपलब्ध करवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य संचालक अधिकारी, जी०वी०के० ईएमआरआई राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक एफ(4)/आरजे— ईएमआरआई /2009-10/जन/2531 दिनांक 28.10.09 के द्वारा निवेदन किया है कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर दी जा रही निःशुल्क 108 आपातकालीन सेवा की जानकारी छात्रों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप इनका सहयोग करें।

1
निदेशक(जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: 30-10-09

क्रमांक:—सामा./आर.एच./09/127

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज०सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, राज०, जयपुर।
3. अति०निदेशक (ग्रा० स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज०।
5. मुख्य संचालक अधिकारी, जी०वी०के० ईएमआरआई राजस्थान, 9829546108
6. प्रभारी सर्वर रूम को नेट में पर डालने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।